GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Environment

F.No.Forest (6)/ Sambhar Lake/ 2016 Jaipur, Dated 23.06.2020

To
Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi

Subject: Submission of Interim compliance report of the Order dated 17.03.2020 in O.A No. 1020/2019 in matter of News Item Published in "Hindustan Times" authored by Rakesh Goswami titled "Sambhar's Ecology among worst: Report".

Sir,

With reference to the above, the Interim compliance report of the order dated 17.03.2020 in O.A No. 1020/2019 in matter of News Item Published in "Hindustan Times" authored by Rakesh Goswami titled "Sambhar's Ecology among worst: Report" is submitted as below:

1. **Preparation of a Comprehensive Environment Management Plan:** A draft of Comprehensive Environment Management Plan for Sambhar Lake has been prepared by the Environment Department. The draft is required to be approved by the State Wetland Authority. Due to COVID Emergency, meeting of the Wetland Authority could not be held which will be held shortly and the Plan will be submitted thereafter.
2. **Delineation of Core and Buffer Area or Sambhar Lake Wetland Area:** The issue of delineation of core and buffer area has been included in the Comprehensive Management Plan and compliance will be submitted along with the Management Plan.
3. **Collection of Water Samples:** Rajasthan State Pollution Control Board will collect the water samples from the Lake bed area pre and post monsoon every year. 13 Sampling location have been identified in the lake and surrounding area by RSPCB. Samples for the pre monsoon season have been collected already and sent for analysis.
4. **Disposal of Sodium sulphate waste /sludge generated from Salt Refining Units:** The areas of Sludge and Sodium sulphate waste disposal in the Lake area generated from Salt Refining Units have been identified. These refining units have been directed and cautioned not to dispose waste in the lake bed area by the District Collector's. A landfill site will be identified shortly by the Revenue Department for this purpose near the lake area.

Scanned with CamScanner

Sewage Disposal:SDM, Sambhar Lake has informed that no sewage disposal is being done in the lake area in Panchayat Samiti Sambhar in village Kajipura, Narangpura, Tyod and Village Panchayat Bardoti, Korsina and Habaspura of Panchayat Samiti Dudu. Executive Engineer,Nagar Palika, Sambhar Lake has informed that waste disposal is being done in landwhich is far from the Sambahr Lake Area.RSPCB has written to Executive Engineer, Nagar Palika, Sambhar Lake

As informed by LSG Department, Sewage Treatment Plan for the area is under process. Sambhar lake Municipality has already been declared ODF (Open Defecation Free) under Swachh Bharat Mission (Urban). All household & Community/ Public Toilets (CT/PT) in Sambhar Lake has connected with twin pits and septic tanks; For treatment of feacal sludge of twin pit/septic tank of all toilets, **a Common FSTP (20 KLD capacity) for Sambhar Lake and Phulera FSTP is under trial run andto be handed over by RUIDP to ULB**. Feacal sludge from pits and Septic tanks is being collected by sewer suction machine and disposed at FSTP for the treatment. Therefore, after running of FSTP sewage water is not being discharged in Sambhar Lake from Municipal Area (likely date of running of FSTP within one month).

5. **Removal of Encroachment:**

District Nagour: District Collector, Nagour has informed that during 2019-20, Encroachment in 29.44 Ha land was removed along with removal of 137 illegal bore wells and 10 Submersible Pumps. From 01.04.2020, till date 254 illegal bore wells have been removed along with 27 Submersible Pumps. The work of removal of encroachment is being carried out continuously and action under Rajasthan Land Revenue Act, 1956 is being taken up. Action against encroachment in 14 Ha land is under legal process and will be removed within 10 days. (Report at Annexure 1)

Jaipur District: District Collector, Jaipur has informed that there are no mining activities in the Phulera tehsil of Jaipur District. As per the report, there are no encroachments in Jaipur District. It has been informed that JVVNL has not issued any new electrical connection in the Lake area and at present there are no Illegal bore wells in the area. (Report at Annexure 2)

Enclosures: As Above

Yours Sincerely

(Rakesh Mathur)
Director cum Joint Secretary&
Member Secretary, State Wetland Authority

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एस०डी०एम०), नांवा (नागौर)

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 216 दिनांकः– 23/06/20

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
जयपुर।

विषयः–माननीय न्यायालय एन.जी.टी के प्रकरण सख्या 1020 / 2019 नई दिल्ली निर्णय दिनांक17 / 03 / 2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिक पत्र के कम में निवेदन है कि माननीय न्यायालय एन.जी.टी.प्रकरण सख्या 1020 / 2019 निर्णय दिनांक 17 / 03 / 2020 की पालना में निम्नानुसार अतिकमण / अवैध बोरवेल हटाये गये है।

पक्षी त्रासदी के बाद वर्ष 2019–20 में कुल 29.44 हैक्टयर भुमि से अतिकमण हटाया गया था। तथा 137 अवैध बोरवेल नष्ट किये गये। 10 सममर्सिबल जब्त किये गये। 01 / 04 / 2020 से आज दिनांक तक (वर्ष 2020–21) में कुल 254 अवैध बोरवेल नष्ट किये गये तथा 27 सबमर्सिबल पम्प जब्त किये गये। वर्तमान में भी अतिकमण हटाने एवं अवैध बोरवेल नष्ट करने का कार्य जारी है। निजी खातेदारो द्वारा अपने खारडे से लगती हुई झील सीमा पर अतिकमण कर लिया जाता है तो उनके विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत 14 हैक्टयर की भुमि पर प्रकरण विचाराधीन है, जिनका 10 दिवस में निस्तारण करके अतिकमण हटाने की कार्यवाही कर दी जावेगी। आज दिनांक तक कुल 391 अवैध बोरवेल नष्ट किये जा चुके है। एवं 37 सममर्सिबल पम्प जब्त किये जा चुके है। सूचना श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

सलग्नः–अतिकमण हटाने की रिपोर्ट
तारीख वार

सादर।

भवदीय

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी नांवा

उपखण्ड अधिकारी
नांवा (नागौर)

वर्ष 2019–20 में साभंर झील में अवैध अतिक्रमण हटाने का विवरण

क0 स0	दिनांक जिसको अतिक्रमण हटाया गया	स्थान .जहां से अतिक्रमण हटाया गया	क्षेत्रफल (हटाया गया अतिक्रमण)	वि. वि.
1	24.11.2019	नावां से मोहनपुरा डुंगरी तक	2 किलोमीटर तक	03 बोरवैल नष्ट किये तथा विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
2	25.11.2019	नावां से मोहनपुरा डुंगरी तक	3 किलोमीटर तक	06 बोरवैल नष्ट किये तथा 01 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
3	27.11.2019	शाकम्भंरी माता मन्दिर के पास अतिक्रमण को चिन्हित किया गया	–	–
4	30.11.2019	मोहनपुरा डुगरी से आउ सीमा तक	3 किलोमीटर तक	25 बोरवैल नष्ट किये तथा 05 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
5	01.12.2019	खाखडकी रोड से पष्चिम की ओर लगती हुई झील किनारे से	3 किलोमीटर तक	38 बोरवैल नष्ट किये तथा 03 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
6	02.2.2019	खाखडकी रोड से पूर्वी की ओर लगती हुई झील किनारे से	4 किलामीटर तक	52 बोरवैल नष्ट किये तथा 01 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
7	09.12.2019	नावां से मोहनपुरा डुगरी तक खाई खोदकर भूमिगत पाईप लाईन व केबलों को हटाया गया	1 किलोमीटर	–
8	10.12.2019	नावां से मोहनपुरा डुगरी तक खाई खोदकर भूमिगत पाईप लाईन व केबलों को हटाया गया	1 किलोमीटर	01 बोरवैल नष्ट किया
9	11.12.2019	नावां से मोहनपुरा डुगरी तक खाई खोदकर भूमिगत पाईप लाईन व केबलों को हटाया गया	1 किलोमीटर	–
10	12.12.2019	नावां से मोहनपुरा डुगरी तक खाई खोदकर भूमिगत पाईप लाईन व केबलों को हटाया गया	1 किलोमीटर	–
11	13.12.2019	नावां से मोहनपुरा डुंगरी तक खाई खोदकर भूमिगत पाईप लाईन व केबलों को हटाया गया	1 किलोमीटर	–
12	16.12.2019	नावां से मोहनपुरा डुगरी तक खाई खोदकर भूमिगत पाईप लाईन व केबलों को हटाया गया	0.50 किलोमीटर	–
13	17.12.2019	नावां से मोहनपुरा डुगरी तक खाई खोदकर भूमिगत पाईप	0.50 किलोमीटर	–

उपखण्ड अधिकारी

		लाईन व केबलों को हटाया गया		
14	18.12.2019	मिठडी से लगती हुई झील किनारे.पर	05 हैक्टर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया	–
15	19.12.2019	मिठडी से लगती हुई झील किनारे पर	07 हैक्टर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया	04 बोरवैल नष्ट किये।
16	26.12.2019	मोहनपुरा सीमा पर अवैध नमक क्यार	07.59 हैक्टर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया	01 बोरवैल नष्ट किये।
17	11.01.2020	नावां से मोहनपुरा सडक पर लगती हुई झील में अवैध नमक क्यार	4 हैक्टर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया	01 बोरवैल नष्ट किये।
18	23.01.2020	डम्पिंग यार्ड नावां के पास	–	01 बोरवैल नष्ट किये।
19	31.01.2020	आउ सीमा पर	–	02 बोरवेल नष्ट किये।
19	10.02.2020	पूर्व में खोदी गई नावां से मोहनपुरा खाई का निरिक्षण कर पाईप व केबल नष्ट किये।	–	–
20	11.02.2020	मोहनपुरा पहाडी से पष्चिमी दिषा में 450 मीटर लम्बी खाई खोदकर भूमिगत पाईपलाईन एवं केबल नष्ट किये।	–	–
21	13.02.2020	मोहनपुरा पहाडी से पष्चिमी दिषा में 500 मीटर लम्बी खाई खोदकर भूमिगत पाईपलाईन एवं केबल नष्ट किये।	–	–
22	14.02.2020	ख.न.1805 में से	5.85 है0 भूमि से अतिक्रमण हटाया गया	
23	03.03.2020	आउ सिनोदिया सीमा पर	–	03 बोरवेल नष्ट किये।

अब तक 15 कि.मी. क्षेत्र में पाईप/केबल हटाये जा चुके है। जिसमें 137 अवैध बोरवैल नष्ट किये गये, 9 टेक्टर टॉली पाईपा लाईन, 10 समरसिबल पम्प व लगभग 7000 मीटर केबल जब्त की जा चुकी है। 6 कि.मी. लम्बे क्षेत्र में अण्डरग्राउण्ड लाईंन नष्ट की है तथा 29.44 है0 भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

वर्ष 2020–21 में साभंर झील में अवैध अतिकमण हटाने का विवरण

क0 स0	दिनांक जिसको अतिकमण हटाया गया	स्थान जहां से अतिकमण हटाया गया	क्षेत्रफल (हटाया गया अतिकमण)	वि. वि.
1	23.05.2020	मोहनपुरा डुंगरी से दक्षिणी पूर्वा दिशा में	–	05 बोरवैल नष्ट किये तथा 01 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
2	25.05.2020	नावां मोहनपुरा सडक के दक्षिण दिशा में लगभग 02 किलोमीटर दूरी पर	–	09 बोरवैल नष्ट किये तथा 03 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
3	26.05.2020	मजदूर कॉलोनी की पिछे, नावां थाने से पश्चिमी दिशा में मोहनपुरा रोड पर एवं मोहनपुरा डुगरी से पश्चिम दिशा मे	–	09 बोरवैल नष्ट किये तथा 01 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
4	27.05.2020	सांभर साल्ट क्यारों के पश्चिमी दिशा में	–	28 बोरवैल नष्ट किये तथा 03 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
5	28.05.2020	सांभर साल्ट क्यारों के दक्षिण–पश्चिम दिशा में।	–	22 बोरवैल नष्ट किये तथा 04 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
6	29.05.2020	आउ सिनोदीया मोहनपुरा डुगरी सीमा के पास	–	47 बोरवैल नष्ट किये तथा 02 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल व पाईप जब्त किये
7	01.06.2020	मोहनपुरा पहाडी से दक्षिणी पूर्वी दिशा में	–	21 बोरवैल व भूमिगत पाइप लाईन नष्ट किये
8	02.06.2020	मेहनपुरा डुगरी से पश्चिमी दिशा	–	18 बोरवैल नष्ट किये तथा पूर्व में चिन्हीत भूमिगत पाईप लाईन को खुदवाया।
9	03.06.2020	मेहनपुरा डुगरी से पश्चिमी दिशा	–	चिन्हीत भूमिगत पाईप लाईन को अन्तिम छोर उलाणा सीमा तक खोदा गया।
10	04.06.2020	मेहनपुरा खारडिया सीमा पर	–	23 बोरवैल नष्ट किये तथा 02 समरसिबल पम्प, विद्युत केबल जब्त किये
11	05.06.2020	मेहनपुरा खारडिया सीमा पर		17 बोरवैल व भूमिगत पाइप लाईन नष्ट किये
12	06.06.2020	नावां खाखडकी रोड से पूर्वी दिशा में	–	11 बोरवैल नष्ट किये तथा 01 समरसिबल पम्प, जब्त किये
13	08.06.2020	चालीस मोरिया जाबदीनगर सीमा के पास नावां	–	21 बोरवैल नष्ट किये तथा 05 समरसिबल पम्प, व विद्युत केबल जब्त किये
14	09.06.2020	चालीस मोरिया जाबदीनगर सीमा के पास नावां	–	23 बोरवैल नष्ट किये तथा 05 समरसिबल पम्प, व विद्युत केबल जब्त किये

अब तक 254 अवैध बोरवैल नष्ट किये गये, 27 समरसिबल पम्प जब्त किये जा चूके है। तथा कार्यवाही लगातार जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

24/05/2020

SUNDAY पत्रिका कुचामनसिटी

लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना से बचें लॉकडाउन का 61वां दिन

सांभर झील में अवैध बोरवेल पर की कार्रवाई

दिनभर में 4 बोरवेल नष्ट, एक विद्युत मोटर तथा केबल की जब्त, बड़ी संख्या में बने बोरवेलों को छोड़ मोहनपुरा प्रशासन की नजर में हॉटस्पॉट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नावांशहर. शहर के निकटतम सांभर झील में शनिवार को फिर स्थानीय प्रशासन ने एक निश्चित स्थान पर कार्रवाई की। एनजीटी के आदेश की पालना में प्रशासन कार्रवाई को कर रहा है। लेकिन जब सांभर झील को बचाना ही है तो उचित कदम उठा कर झील में होने वाली हर अवैध गतिविधियों पर लगाम लगा कर झील को बचाना चाहिए। लेकिन फिर वही से शुरुआत होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। सांभर झील में एसडीएम ब्रह्मलाल जाट के निर्देशन में मोहनपुरा क्षेत्र की और बने अवैध बोरवेलों को नष्ट किया व केबलों तथा पाइपों को जब्त किया गया।

इसके साथ तहसीलदार गुरुप्रसाद तंवर,नायब तहसीलदार भारतसिंह सहित बिजली बोर्ड सहित पटवारी सहित पूरा प्रशासन दिन भर अवैध बोरवेलों पर कार्रवाई कर रहा था। एसडीएम ब्रह्मलाल जाट ने बताया कि 4 बोरवेल नष्ट किए गए तथा 1 विद्युत मोटर के साथ केबल व पाइप जब्त किए गए। कोरोना महामारी के साथ ही झील क्षेत्र में भी प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही कोरोना से भी बराबर लड़ाई लड़ रहा है। सांभर झील में नमक से जुड़े लोगों द्वारा अवैध बोरवेल के पानी चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को प्रशासनिक टीम मोहनपुरा क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। उसी क्षेत्र में करीब 2 से ज्यादा बोरवेल पूर्व की रात्रि में ही बन कर तैयार हुए। इसके साथ ही मोहनपुरा क्षेत्र में ही करीब दर्जनों बोरवेल चालू अवस्था में भी पत्रिका टीम को मिले। लेकिन प्रशासन भी केवल झील क्षेत्र के एक क्षेत्र में ही ध्यान देते हुए कार्रवाई में एकाग्रता करते हुए कार्य कर रही थी। उपखंड क्षेत्र में सांभर झील का सबसे बड़ा क्षेत्र आता है। इसके साथ ही जिसमें मोहनपुरा,खाखड़की,जाब्दीनगर सहित अनेकों क्षेत्र में भी अवैध बोरवेल व बिजली के तार अंदर तक नजर आते हैं। लेकिन शनिवार को प्रशासन ने कार्रवाई कर बिजली की केबलों से भरे पिकअप व पाइप जब्त कि ए तथा जेसीबी की सहायता से बोरवेल नष्ट व झील से जा रहे पाइपों को नष्ट किया गया।

सांभर झील क्षेत्र में शनिवार को एसडीएम ब्रह्मलाल जाट के निर्देशन में कार्रवाई तो हुई लेकिन अगर झील को बचाना है तो निरन्तर कार्रवाई हर क्षेत्र में करना भी उचित है। अन्यथा इस प्रकार एक दिन या दो कार्रवाई करने के बाद बन्द कर देने से झील को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुनकिन है। शनिवार को पत्रिका टीम ने जिस क्षेत्र में कार्रवाई हो रही थी उसी क्षेत्र व अन्य इलाकों का दौरा किया तो पता चला कि आसानी से अवैध बोरवेल संचालित है उन पर कार्यवाही नहीं होना विचारणीय है।

नावां. सांभर झील क्षेत्र में अवैध पर कार्यवाही के दौरान जेसीबी व केबलों को एकत्रित करते विद्युत विभाग कि टीम।

इनका कहना

सांभर झील में बने अवैध बोरवेलों को नष्ट किया गया है। एनजीटी की ओर से पालना रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। झील को लेकर उच्च स्तरीय टीम को जांच रिपोर्ट भेज कर लगातार कार्रवाई की जाएगी।

ब्रह्मलाल जाट, एसडीएम नावां

26/05/2020

चन्द्रोदय: आज सुबह 08:31 बजे
चन्द्रास्त: आज रात 10:46 बजे

तापमान
अधिकतम 45°c
न्यूनतम 31°c

राजस्थान पत्रिका
patrika.com
नागौर, मंगलवार, 26 मई, 2020

5 बोरवेल नष्ट, 3 विद्युत मोटर सहित केबल जब्त

सांभर झील में प्रशासन की कार्रवाई

नावांशहर. शहर के निकटम मोहनपुरा क्षेत्र में सांभर झील इलाके में प्रशासन ने बीते दिनों मोहनपुरा क्षेत्र में झील की सीमा पर खाई खोदकर समस्त बोरवेल, केबिल व पाइप लाइनें हटा कर झील को संरक्षित किया गया। लेकिन लॉकडाउन के चलते प्रशासन को अन्य व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस बीच मोहनपुरा झील क्षेत्र में कई जगह पाइप लाइनें व केबलों का मंजर नजर आने लगा। मोहनपुरा झील क्षेत्र में सोमवार को एसडीएम ब्रह्मलाल जाट के निर्देशन में तहसीलदार गुरुप्रसाद तंवर, नायब तहसीलदार भरत सिंह,सहित डिस्कॉम टीम ने जेसीबी की सहायता से 5 बोरवेल,3विद्युत मोटर सहित विद्युत केबल जब्त कर पाइप लाइनों को काटा गया। प्रशासन ने सोमवार को झील क्षेत्र से केबल व पाइप लाइनें जब्त कर टीम ने संयुक्त कार्रवाई की।

नावां के निकटम मोहनपुरा के क्षेत्र में सांभर झील इलाके में कार्रवाई करते हुए।

27/05/2020

नियमों का पालन करते हुए...
हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे

पत्रिका कुचामनसिटी

लॉकडाउन 4 घर पर ही रहें और कोरोना को फैलने से बचाएं

सांभर झील में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी

तीन दिन में 13 बोरवेल नष्ट, 5 मोटर सहित हजारों मीटर केबल जब्त, मोहनपुरा क्षेत्र में लगातार प्रशासन की कार्रवाई

नावां के सांभर झील क्षेत्र में अवैध पर कार्यवाही करते हुए प्रशासन।

नावां शहर. शहर के निकटम सांभर झील में मंगलवार को फिर तीसरे दिन प्रशासन ने एक निश्चित स्थान पर कार्रवाई की। एनजीटी के आदेश की पालना में प्रशासन कार्रवाई कर रहा। लेकिन जब सांभर झील के संरक्षण को लेकर कदम उठाया जा रहा है तो केवल एक स्थान से झील अतिक्रमण मुक्त नहीं होने वाली है। झील में होने वाली हर अवैध गतिविधियों पर लगाम लगा कर झील को बचाना चाहिए। लेकिन फिर वहीं से शुरुआत होती है और वहीं पर खत्म हो जाती हैं। सांभर झील में उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट के निर्देशन में मोहनपुरा क्षेत्र की और बने अवैध बोरवेलों को नष्ट किया व केबलों तथा पाइपों को जप्त किया गया। इसके साथ तहसीलदार गुरुप्रसाद तंवर, नायब तहसीलदार भारतसिंह सहित बिजली बोर्ड सहित पटवारी सहित प्रशासन ने तीसरे दिन भी कार्रवाई की। तीन दिन में 13 बोरवेल नष्ट किए तथा 5 विद्युत मोटर के साथ हजारों मीटर केबल व पाइप जब्त की गई। जेसीबी की सहायता से बोरवेल नष्ट व झील से जा रहे पाइपों को नष्ट किया गया। नागौर जिले कि सीमा से अजमेर जिले के लोग सांभर झील से पानी चोरी का काम कर रहे हैं।

इनका कहना

सांभर झील में लगातार एनजीटी की पालना में कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आउ व सिनोदिया के क्षेत्र में पूर्व में भी बोरवेल हटाए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

ब्रह्मलाल जाट, एसडीएम नावां।

28/05/2020

सांभर झील में 28 बोरवेल किए नष्ट

अवैध बोरवेल करने वालों पर प्रशासन का प्रहार

नावांशहर. शहर निकट सांभर झील में प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। सांभर झील में बुधवार को उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट के निर्देशन में जेसीबी की सहायता से दिनभर पटवारी, सांभर साल्ट सहित विद्युत विभाग के कर्मचारी धूप में कार्य करते नजर आए। झील क्षेत्र में कार्य करते हुए बुधवार को मुख्य केंद्र से लगभग 28 बोरवेल नष्ट किए गए। इसके साथ ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा केबल जप्त की गई है। इस अवसर पर पटवारी महेंद्र चौधरी,अशोक

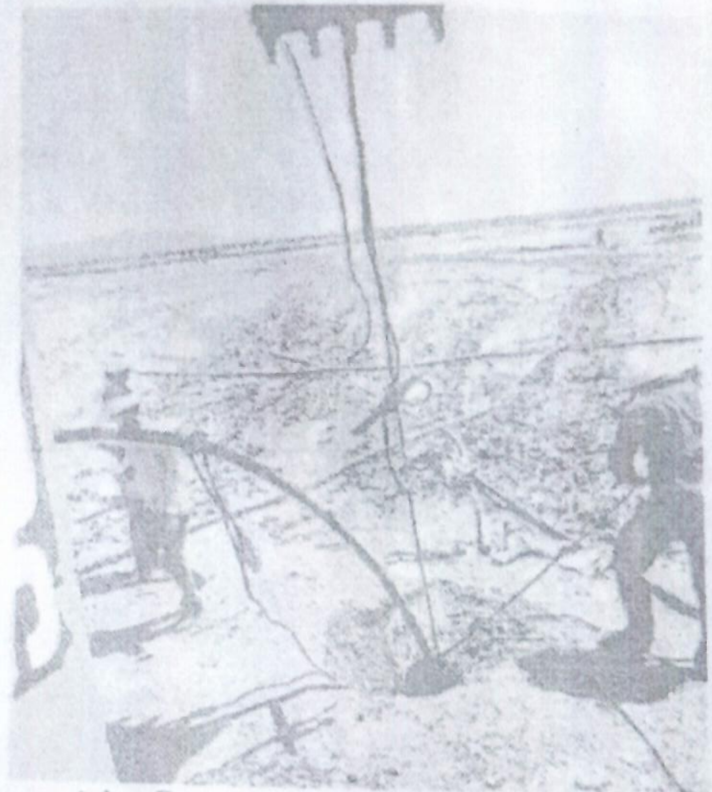

नावां के निकटम सांभर झील क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए।

कुमार,सांभर साल्ट के कर्मचारी सहित विभाग की टीम धूप में काम करती झील क्षेत्र में नजर आई।

29/05/2020

सांभर झील में 22 बोरवेल नष्ट, 5 व्यक्ति गिरफ्तार

चार मोटर व हजारों मीटर लम्बी केबल की जब्त, झील क्षेत्र में अवैधबोरवेल कर्ताओं पर लगातर प्रशासन की कार्रवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नावां के निकटम सांभर झील क्षेत्र में अवैध बोरवेल खोदने वालों पर कार्रवाई करती प्रशासन की टीम।

नावां शहर. शहर के निकटम सांभर झील क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों की पालना के तहत लगातार स्थानीय प्रशासन कड़ी धूप में अवैध बोरवेल कर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है। झील क्षेत्र में मोहनपुरा के सांभर साल्ट के पास स्थित अवैध बोरवेलों ,मोटरों व केबलों पर उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट की मौजूदगी में प्रशासन ने गुरुवार को कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे से ही प्रशासन ने झील क्षेत्र में बने अवैध बोरवेलों को जेसीबी की मदद तथा विद्युत विभाग, पटवारी सहित सांभर साल्ट के व्यक्तियों की मौजूदगी में हटाना शुरू किया। 22 बोरवेल नष्ट करने के साथ 4 मोटर सहित हजारों मीटर केबल जब्त की। झील क्षेत्र से पानी चोरी करने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 5 व्यक्तियों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हैंड कांस्टेबल खेमाराम ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा झील क्षेत्र में कार्रवाई करने पर पांच व्यक्तियों श्रवण कुमावत,गौरीशंकर खटीक,मनोज खटीक, टीकमचंद, हुकुमचंद को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम ब्रह्मलाल जाट,नायब तहसीलदार भारत सिंह,पटवारी महेन्द्र कुमार,अशोक कुमार,मनीष कुमार,नरेन्द्र सिंह सहित पुलिस कर्मी,नगरपालिका के कर्मचारी सांभर साल्ट के कर्मचारी मौजूद रहे।

90 प्रतिशत मोहनपुरा पर कार्रवाई अन्य क्षेत्र कर रहे झील को छलनी

एनजीटी व उच्च स्तरीय अधिकारियों के निर्देशों की पालना में स्थानीय प्रसाशन लगातार झील क्षेत्र से अवैध बोरवेल खोदने वालों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जब भी झील क्षेत्र से कार्रवाई शुरू होती है मोहनपुरा से और खत्म भी मोहनपुरा में ही हो जाती है। जबकि सांभर झील में अवैध बोरवेल करने वालों धूम मची हुई है। मोहनपुरा क्षेत्र में हर बार प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन खाखड़की व जाब्दीनगर क्षेत्र में कार्रवाई नहीं की जाती है। जबकि इस क्षेत्र में भी अवैध बोरवेल करने वालों का बोलबाला है। एनजीटी के आदेश केवल मोहनपुरा क्षेत्र के लिए नहीं सांभर झील के लिए लागू होते हैं, जो कि तीन जिलों में फैली हुई है। जिसमें अजमेर जिले के अवैध बोरवेल कर्ताओं द्वारा नागौर जिले के क्षेत्र से धड़ल्ले से पानी चोरी किया जा रहा है।

30/5/2020

आऊ-सिनोदिया झील क्षेत्र से 47 बोरवैल किए नष्ट

नावांशहर। शहर के निकटम क्षेत्र सांभर झील में प्रशासन की कार्रवाई जारी है। सांभर झील में शुक्रवार को उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट के निर्देशन में जेसीबी की सहायता से दिनभर

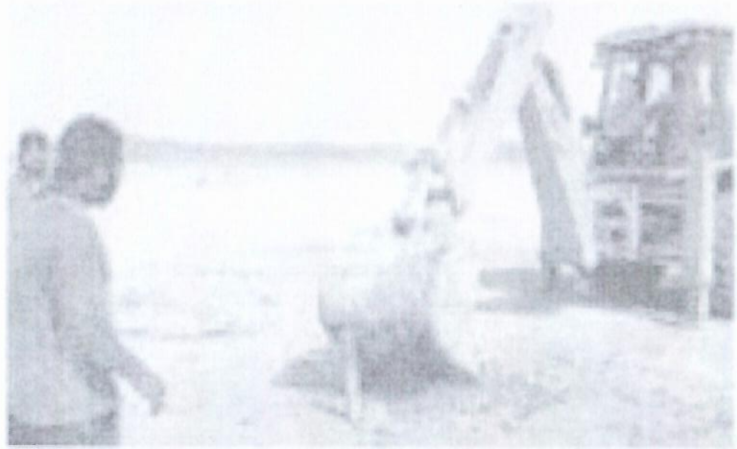

पटवारी,सांभर साल्ट सहित विधुत विभाग के कर्मचारी व पालिका के कार्मिक तपती धूप में कार्य करते नजर आए। झील क्षेत्र में कार्य कर शुक्रवार को आऊ व सिनोदिया क्षेत्र में 47 बोरवैल नष्ट किए। इसके साथ ही विधुत विभाग के कर्मचारियों ने केबल जब्त की गई। इस दौरान पटवारी महेंद्र चौधरी,अशोक कुमार,सांभर साल्ट के कर्मचारी सहित विधुत विभाग की टीम के साथ थे।

पत्रिका Sat, 30 May 2020
epaper.patrika.com/c/52359594

02/06/2020

पत्रिका

कोरोना से लड़ेंगे भी... आगे बढ़ेंगे भी...

अनलॉक 1

इन दिनों जरूरी है... सोशल डि

पक्षी त्रासदी के बाद झील में अवैध बोरवेल करने वालों पर कार्रवाई

पत्रिका

ग्राउंड रिपोर्ट

अधूरे संसाधनों व एक क्षेत्र में कार्रवाई के चलते झील का संरक्षण असंभव

नावां के सांभर झील क्षेत्र में सोमवार को कार्रवाई करते हुए।

नावां शहर. सांभर झील क्षेत्र में पक्षी त्रासती के बाद पूरा प्रशासन अवैध बोरवेल करने वालों पर लगातार झील में कार्रवाई कर रहा था।

इसके साथ ही झील के कुछ क्षेत्र में जेसीबी की सहायता से गड्ढे करवा कर झील के अंदर का आवागमन बंद करवा दिया। लेकिन अधूरे संसाधनों के कारण अभी भी झील में अवैध बोरवेल कर्ताओं की दखलंदाजी जारी है। सांभर झील के संरक्षण को लेकर लगातार प्रशासन के पास जवाब तलब होते हैं। लेकिन पिछले नवम्बर के बाद पूरे देश व प्रदेश की नजर सांभर झील पर थी। जिसके चलते प्रशासन ने अवैध नमक इकाइयों, अवैध बोरवेल पर कार्रवाई की।

मोहनपुरा में 140 बोरवेल नष्ट
सांभर झील के मोहनपुरा क्षेत्र में पिछले सात दिनों में कुल 140 बोरवेलों पर प्रशासन ने कार्रवाई कर नष्ट किए। लेकिन झील क्षेत्र में एक जेसीबी की सहायता से झील को साफ करना असंभव तथा एक क्षेत्र में कार्रवाई की।

03/06/

झील में प्रशासन की कार्रवाई जारी

मीठड़ी सीमा के झील क्षेत्र में 18 बोरवेल किए नष्ट

नावां के निकट सांभर झील क्षेत्र में अवैध पर कार्रवाई करते हुए।

नावां शहर. शहर के निकट सांभर झील में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मंलवार को मीठड़ी सीमा के झील क्षेत्र में 18 बोरवेल कि लाइनों को तोड़ने के साथ ही बोरवेल नष्ट किए । मंगलवार को तहसीलदार गुरूप्रसाद के निर्देशन में पुरी टीम ने झील में चल रही अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करता नजर आया। पत्रिका ने समाचारों के माध्यम से बताया कि एक क्षेत्र में प्रशासन कि कार्रवाई नजर आ रही उसके बाद मंगलवार को मीठड़ी सीमा में नजर आया, लेकिन अभी भी केवल दिशा बदली है क्षेत्र नही क्यों कि झील के चारों तरफ आज भी सैकड़ों कि तादात में अवैध बोरवेल नजर आ जाएंगे, लेकिन प्रशासन कि कार्रवाई नही होना झील का संरक्षण होना संभव है। सांभर झील क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों की पालना के तहत लगातार स्थानीय प्रसाशन कड़ी धूप में अवेधकर्ताओं पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। झील क्षेत्र में मोहनपुरा के साथ अब मिठड़ी कि सीमा पर अवैध बोरवेलों ,मोटरों व केबलों पर प्रशासन की कार्रवाई कर रहा है। जानकारी के अनुसार सुबह 7 बजे से ही प्रसाशन ने झील क्षेत्र में बने अवैध बोरवेलों को जेसीबी की मदद तथा विद्युत विभाग,पटवारी सहित सांभर साल्ट के व्यक्तियों की मौजूदगी में बोरवेल नष्ट करने के साथ मोटर सहित हजारों मीटर केबल जप्त की गई। झील क्षेत्र से पानी चोरी करने का सिलसिला जारी हैं।

पत्रिका Wed, 03 June 2020
epaper.patrika.com/c/52476043

Nawa Tdr Guru
today at 10:05 AM

प्रशासन का चला डंडा

सांभर झील में 11 बोरवेल नष्ट

पत्रिका
ग्राउंड रिपोर्ट

सांभर झील के खाखड़की सीमा पर पानी दोहन करने वालों पर कार्रवाई

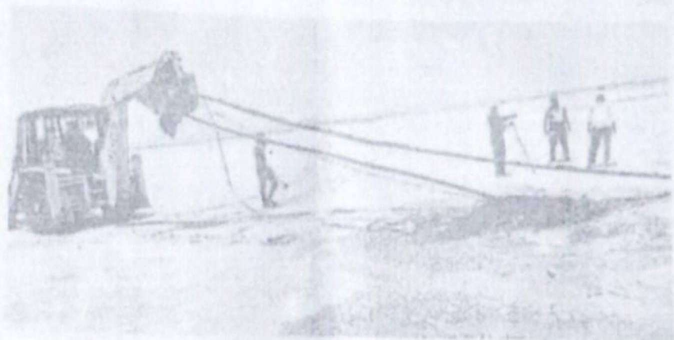

नावां. निकटम सांभर झील क्षेत्र में अवैध बोरवेल पर कार्रवाई करते हुए।

नावां शहर. शहर के निकटम सांभर झील में प्रशासन कि लगातार कार्रवाई जारी है। शनिवार को प्रशासन ने एक क्षेत्र को छोड़कर खाखड़की क्षेत्र कि सीमा में झील क्षेत्र से 11 बोरवेलो को नष्ट किया तथा लाइनों को तोड़ने के साथ ही बोरवेल नष्ट किए है।

शनिवार को तहसीलदार गुरुप्रसाद के निर्देशन में पुरी टीम ने झील में हो रही अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करता नजर आया। पत्रिका ने समाचारों के माध्यम से बताया कि एक क्षेत्र में प्रशासन कि कार्रवाई नजर आ रही उसके बाद शनिवार को खाखड़की सीमा में नजर आया, लेकिन अब केवल दिशा बदली है। झील के चारों तरफ आज भी सैकड़ो कि तादात में अवैध बोरवेल नजर आ जाएंगे लेकिन प्रशासन कि कार्रवाई नही की।ह झील क्षेत्र में मोहनपुरा के साथ अब खाखड़की कि सीमा पर अवैध बोरवेलों ,मोटरों व केब्लों पर प्रसाशन कार्रवाई कर रहा है। जिसके तहत शनिवार को 11 बोरवेल नष्ट करने के साथ 1 मोटर भी जप्त की। सुबह 7 बजे से ही प्रसाशन ने झील क्षेत्र में बने अवैध बोरवेलों को जेसीबी की मदद तथा विद्युत विभाग, पटवारी सहित सांभर साल्ट के व्यक्तियों की मौजूदगी में बोरवेल नष्ट करने के साथ मोटर सहित हजारों मीटर केबल जब्त की गई।

Nawa Tdr Guru
today at 10:05 AM

जाब्दीनगर सीमा का झील क्षेत्र

प्रशासन ने 21 बोरवेल नष्ट कर 5 मोटर जब्त की

नावां की सिवायचक में पानी दोहन करने वालों पर की कार्रवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नावां के निकटम झील क्षेत्र में अवैध बोरवेल पर कार्रवाई करते हुए।

नावांशहर. शहर के निकटम सांभर झील सहित सरकारी भूमि पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने सोमवार को एक क्षेत्र को छोड़ कर नगर के समीप जाब्दीनगर सीमा क्षेत्र की सीमा में झील क्षेत्र से 21 बोरवेल को नष्ट किया तथा लाइनों को तोड़ने के साथ ही बोरवेल नष्ट किए। एसडीएम ब्रह्मलाल जाट के निर्देशन में पूरी टीम ने अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई की। पूर्व में एक क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई नजर आ रही थी। उसके बाद शनिवार व सोमवार से खाखड़की सीमा व अब जाब्दीनगर सीमा में प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन अभी भी झील के चारों ओर अवैध बोरवेल हैं। झील क्षेत्र में मोहनपुरा के साथ अब खाखड़की कि सीमा पर अवैध बोरवेल, मोटर व केबलों पर प्रशासन की कार्रवाई के साथ अब सोमवार को सिवायचक भूमि से 21 बोरवेल नष्ट कर 5 मोटर जब्त की गई।

Nawa Tdr Guru
today at 10:05 AM

किए।

जिला मंत्री अरुण रिणवा, जिला अन्य लोग मौजूद थे।

सिवायचक में 23 बोरवैल व 5 मोटर जब्त

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

नावां. जाब्दीनगर रोड़ पर अवैध पर कार्रवाई करते एसडीएम जाट व अन्य।

नावांशहर. एसडीएम के निर्देशन में पानी दोहन करने वालों पर लगातार प्रसाशन पिला पंजा चला रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को एसडीएम ब्रह्मलाल जाट की मौजूदगी में जाब्दीनगर रोड पर स्थित सिवायचक भूमि से पुलिस बल के साथ प्रशासन ने कार्रवाई कर 23 बोरवैल नष्ट करते हुए 5 मोटर जब्त की हैं।

गौरतलब है कि एनजीटी के आदेश व कपूर आयोग की पालना में स्थानीय प्रशासन लगातार सांभर झील सहित अन्य क्षेत्र में अवैधकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है। सांभर झील क्षेत्र में मोहनपुरा क्षेत्र से शुरू होकर प्रशासन आउ सिनोदिया की सीमा के साथ खाखड़की सीमा के बाद में 2 दिन से जाब्दीनगर रोड पर सिवायचक भूमि में कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने कई बोरवैल नष्ट करने के साथ दर्जनों मोटरे जब्त कर केबल व पाइप भी जब्त कर लिए।

इस दौरान एसडीएम ब्रह्मलाल जाट,तहसीलदार गुरुप्रसाद तंवर,नायब तहसीलदार भारत सिंह,पटवारी महेंद्र चौधरी, मनीष कुमार,अशोक सहित पालिका व विधुत विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

मंगलवार व
जिला व
मुख्यमंत्री के
जिले में द्वेष
के निलंबन
चुनाव के

कुचामन मंडी

कृषि उपजमं
में मंगलवार
जिंसों के भा
इस प्रकार र
बाजरा 140
1500, ग्वार
2760-300
तारामीरा
3300-350
ईसबगोल
8560-950
रुपए प्रति
क्विंटल रहे।

र विनोद
टाए।

POCO
SHOT ON POCO F1

POCO
SHOT ON POCO F1

POCO
SHOT ON POCO F1

POCO
SHOT ON POCO F1

POCO
SHOT ON POCO F1

कार्यालय उप वन संरक्षक जयपुर

ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड , जयपुर–302012
TEL.Phone 0141-2350061 E-Mail:- dfosouthjpr@gmail.com

क्रमांक एफ( )सांभर झील / उवसंज / 2020–21 / 2923 दिनांक 15.06.2020

निमित्तः–

जिला कलक्टर
जयपुर।

विषयः– Compliance of Hon'ble NGT New Delhi Order in OA No. 1020/2019 Dated 17-03-2020.

सन्दर्भः– आपका पत्रांक एडीएम–3 / 2020 / 1174 दिनांक 04.06.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयन्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि NGT आदेश क्रमांक दिनांक 17.03.2020 के क्रम में बिन्दु संख्या 11 इस कार्यालय से सम्बंधित है। जिसके सम्बंध में वन विभाग द्वारा आम जनता में जन जागरूकता पैदा करने हेतु निम्न कार्यक्रम किये गये हैः–

1. वन विभाग द्वारा दिनांक 24.02.2020 को सांभर झील में में स्कूल के विद्यार्थियों को सांभर झील के पक्षियों की जानकारी देते हुए ~~भ्रमण~~ भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें वन विभाग के अधिकरियों के साथ–साथ स्वंय सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भी स्थानीय व प्रवासी पक्षियों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई।
2. वन विभाग द्वारा दिनांक 24.02.2020 को द्वितीय कार्यक्रम के तहत नर्सरी काचरोदा रेंज दूदू में सांभर झील की जैव विविधता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सांभर पक्षी त्रासदी से जुडे सभी विभाग एंव स्वंयं सेवी संस्थाओं, स्थानीय ग्रामवासी, स्कूली विद्यार्थियों तथा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सांभर झील पक्षी त्रासदी की घटना पुनरावृति रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में प्रशासन, पशुपालन, एसआरडीएफ, सिविल डिफेंस एंव वन विभाग द्वारा पक्षी त्रासदी के दौरान किये गये राहत व बचाव कार्यों का उल्लेख करते हुए जनजागरूकता उत्पन्न की गई।
3. वन विभाग द्वारा सांभर झील के नजदीक के गावों में वन विभाग की ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से भी ग्रामवासियों में पक्षियों सम्बंधी जागरूकता किये जाने का कार्य भी किया जा रहा है।

भवदीय

उप वन संरक्षक
जयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एडीएम-3/2020/1218 दिनांकः 23-06-2020

संयुक्त सचिव
पर्यावरण विभाग
राजस्थान सरकार

विषय– Compliance of Hon'ble NGT order in OA no. 1020/2019
प्रसंग– आपका कार्यालय पत्रांक फोरेस्ट(6)सांभरलेक/2016 दि0 27.04.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विषयक प्रकरण में दिनांक 17.03.2020 को दिये गये निर्देशों के क्रम में संबंधित विभाग स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त की गई । बिन्दुवार सूचना निम्नानुसार प्रेषित है–

1- <u>Demarcation of area into core and Buffer Zone</u>.

इस सम्बन्ध में पर्यावरण विभाग द्वारा झील क्षेत्र में कोर और बफर क्षेत्र के सीमांकन सम्बन्धी कार्यवाही की जानी है ।

2- <u>Removing encroachments in the area.</u>

नोडल अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांभर द्वारा पत्रांक सांभरझील/2020/1152 दिनांक 17.06.2020 से अवगत कराया है कि तहसीलदार फुलेरा अनुसार मेंढा नदी का सम्पूर्ण बहाव क्षेत्र चौमूं किशनगढ रेनवाल एवं नावां तहसील में है, जो नानणा जाबदी नगर तहसील नांवा के पास झील में मिलती है तथा रूपनगढ नदी का सम्पूर्ण बहाव क्षेत्र तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में है, जो सिनादिया तहसील रूपनगढ के पास झील में मिलती है ।

फुलेरा तहसील में स्थित झील क्षेत्र में इमारती पत्थर का कोई पर्वत नहीं है जिससे कोई खनन गतिविधि नहीं होती है । झील के आसपास के ग्रामों की स्थानीय जनता द्वारा झील परिक्षेत्र से काफी दूर घरेलू उपयोग हेतु मुरड़ (ग्रेवल) का खनन जरूर किया जाता है । व्यापारिक उद्धेश्य से कोई खनन गतिविधि नहीं होती है । स्थानीय लोगों द्वारा किए गए खनन के लिए खनिज विभाग, जयपुर को तहसीलदार फुलेरा द्वारा लिखा गया है ।

तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के अनुसार मेढा नदी का उद्गम स्थल अजीतगढ़ सीकर की पहाड़ी से होकर तहसील किशनगढ रेनवाल क्षेत्र के राजस्व ग्राम लालासर, बागावास, धोल्या का बास, बासडी खुर्द, सांवत का बास रामसिंहपुरा, नाथी का बास, रेनवा एवं समदड़ी में से होकर तहसील क्षेत्र नावां के मिण्डा (नागौर) में जाती है । उक्त नदी के तहसील क्षेत्र किशनगढ रेनवाल में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है ।

प्राप्त रिपोर्ट अनुसार झील क्षेत्र जयपुर जिला में निजी व्यक्तियों का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है ।

3- <u>Closing of Illegal bore wells.</u>

नोडल अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांभर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 सांभरलेक जिला जयपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सांभरलेक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार सांभर झील के जयपुर जिला क्षेत्र में अनाधिकृत बोरवेल का विद्युत कनेक्शन नहीं है । कोई अवैध बोरवेल भी जानकारी में नहीं आया है । इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता जे0वी0वी0एन0एल0 जयपुर जिला वृत्त जयपुर द्वारा पत्रांक 851 दिनांक 08.06.2020 से अवगत कराया है कि अधिशाषी अभियन्ता (पवस) सांभर द्वारा निरीक्षण कर अवगत कराया है कि सांभर खण्ड के अधीनस्थ उक्त झील क्षेत्र में कोई नया विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया है तथा ना ही किसी प्रकार की विद्युत चोरी पाई गई ।

Scanned with CamScanner

4- Preventing discharge of sewage in the lake.

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांभरलेक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभर लेक द्वारा अवगत कराया गया है कि पंचायत समिति सांभर में ग्राम पंचायत काजीपुरा, नारंगपुरा व त्योद की सीमा लगती है इन ग्राम पंचायतों द्वारा झील क्षेत्र में सीवरेज का निर्गमन नहीं किया जा रहा है ।

विकास अधिकारी पंचायत समिति दूदू द्वारा अवगत कराया गया है कि पंचायत समिति दूदू की उपखण्ड क्षेत्र सांभरलेक में ग्राम पंचायत बरडोती, कोरसीना एवं हबसपुरा की सीमा लगती है । इन ग्राम पंचायतों द्वारा झील क्षेत्र में सीवरेज का निर्गमन नहीं किया जा रहा है ।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सांभरलेक द्वारा अवगत कराया गया है कि कचरे का प्रबन्धन एवं निस्तारण झील क्षेत्र से दूर वेस्टलैण्ड बनाकर किया जा रहा है । क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर की ओर से अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सांभरलेक को पत्र क्रमांक 145 दिनांक 09.06.2020 से सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान लगाये जाने हेतु एक्शन प्लॉन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

5- Adopting cleaner production approaches by the concerned industries.

उपखण्ड सांभर स्थित झील क्षेत्र में प्राईवेट उद्योग नहीं है तथा सांभर साल्ट लि0 द्वारा क्यार बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है । इस बाबत महाप्रबन्धक, सांभर साल्ट लि0 को निर्देशित किया गया है कि झील क्षेत्र क्लीनर उत्पादन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करेंगें ।

6- Closing of illegal mining being done.

खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान जयपुर द्वारा पत्रांक 157 दिनांक 16.06.2020 से अवगत कराया है कि खान विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 11.06.2020 को संयुक्त टीम बनाकर झील क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्र में निरीक्षण किया गया । सांभरलेक के पास रिणगी ग्राम की चारागाह भूमि में कुछ स्थानों पर पुराने खनन के गढ्ढे बने हुए पाये गये जिनमें बरसात का पानी भरा हुआ पाया गया । वर्तमान में सांभरलेक के एक किलोमीटर के क्षेत्र में व सांभरलेक में कहीं भी जयपुर जिले की सीमा में अवैध खनन होता हुआ नहीं पाया गया ना ही अवैध खनन के ताजा निशानात ही पाये गये ।

7- Disconnecting illegal connection to the pumping stations being used for mining.

सहायक अभियन्ता जे0वी0वी0एन0एल0 सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पत्रांक 85 दिनांक 07.05.2020 से अवगत कराया गया है कि सांभर झील के जयपुर जिले में स्थित क्षेत्र में कोई अनाधिकृत विद्युत कनेक्शन नहीं है।

8- Collection of water samples by PCB Pre and post monsoon.

वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक भू जल विभाग द्वारा पत्रांक 883–885 दि0 08.06.2020 से अवगत कराया गया है कि सांभर झील एवं उसके आसपास के केचमेन्ट क्षेत्र में भू जल स्तर मापन किया जा चुका है एवं भू जल नमूनों को क्षेत्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भू जल विभाग जयपुर में विश्लेषण हेतु भिजवा दिया गया है । रासायनिक प्रयोगशाला से विश्लेषण उपरान्त प्राप्त ऑकड़ों को संकलित कर रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

Scanned with CamScanner

9- <u>Sensitizing local people regular surveillance of the area.</u>

निदेशक, निदेशालय पशु पालन विभाग राजस्थान जयपुर से पत्रांक 899 दिनांक 08.06.2020 के साथ नोडल अधिकारी पशुपालन (सांभर झील) उप निदेशक, पशु रोग नियंत्रण द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार वर्तमान में सांभर झील क्षेत्र में प्रवासी एवं देशी पक्षियों की असामयिक मृत्यु की सूचना शून्य है ।

सांभर झील क्षेत्र के समीप ग्राम पंचायत त्योद, नोरंगपुरा, काजीपुरा, बरडोती, कोरसीना व हब सपुरा व नगरपालिका सांभरलेक का क्षेत्र स्थित है । उपरोक्त ग्राम पंचायत व नगरपालिका क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन द्वारा झील क्षेत्र का नियमित निरीक्षण किया जाता है । अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका व संबंधित ग्राम विकास अधिकारी व पटवारियों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए निरन्तर निगरानी की जा रही है तथा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है । झील क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को ग्राम से दूर चारागाह/बंजर भूमि में गड्डा खोद कर दफनाया जाता है । तीनों ग्राम पंचायतों के मृत पशुओं के शव झील परिक्षेत्र में नहीं डाले जाते हैं । संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से झील क्षेत्र में अवांछनीय लोगों द्वारा कोई अनुचित गतिविधि नहीं की जावे इस बाबत गश्त करने की कार्यवाही जारी है ।

इसके अलावा उप वन संरक्षक, जयपुर द्वारा पत्रांक 2923 दिनांक 15.06.2020 से प्रस्तुत सूचना अनुसार वन विभाग द्वारा दिनांक 24.02.2020 को सांभर झील में स्कूल के विद्यार्थियों को सांभर झील के पक्षियों की जानकारी देते हुए भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भी स्थानीय व प्रवासी पक्षियों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई ।

इसी दिवस द्वितीय कार्यक्रम के तहत नर्सरी काचरोदा रेंज दूदू में सांभर झील के जैव विविधता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में सांभर पक्षी त्रासदी से जुड़े सभी विभाग एव स्वयं सेवी संस्थाओं, स्थानीय ग्रामवासी, स्कूल विद्यार्थियों तथा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सांभर झील पक्षी त्रासदी की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के उपायों पर चर्चा की गई । कार्यशाला में प्रशासन, पशुपालन, एसआरडीएफ, सिविल डिफेन्स एवं वन विभाग द्वारा पक्षी त्रासदी के दौरान् किये गये राहत व बचाव कार्यो का उल्लेख करते हुए जन जागरूकता उत्पन्न की गई ।

वन विभाग द्वारा सांभर झील के नजदीक के गांवों में वन विभाग की ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से भी ग्रामवासियों में पक्षियों सम्बन्धी जागरूकता किये जाने का कार्य भी किया जा रहा है ।

भवदीय

(डॉ0 जोगा राम)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with CamScanner

Government of Rajasthan
Local Self Government Department
(Directorate of Local Bodies, Rajasthan, Jaipur)
G-3, Rajmahal Residency, Near Civil lines, Railway Crossing, Jaipur
Tel No.:+91 141 2222469 Fax No.: +91 141 2222403 web site : www.lsgraj.org

No: F 55 ( )/CE/DLB/NGT/1020_2019/20/ 2829 Date: 23/6/20

Director and Joint Secretary,

Environment Department,

Jaipur

Subject: Compliance of Hon'ble NGT Order in OA no. 1020/2019 dated 17.03.2020

Ref: - Yours letter no. f.no forest (6)/Sāmbhar Lake/2016 dated- 26.05.2020

With reference to above cited subject the Compliance report of the related to local Self Government Department as per the NGT order dated 17.03.2020 in OA no. 1020/2019 **"Sewage is also being discharged into the water bodies by the Local Bodies. This being a criminal offence has to be stopped forthwith and emergent measures be taken to prevent any discharge of sewage into the water body"**. In compliance of above order, reply has been prepared and attached for your kind perusal.

Therefore, it is requested to consider for further course of action.

Enclosed: - 1. Compliance report.

2. Bond boundary of Municipality Sāmbhar Lake.

3. Satellite image.

(Ujjawal Rathore)
Director & Joint Secretary

No: F 55 ( )/CE/DLB/ NGT/1020_2019/20/ 28130-28134 Date: 23/6/20
Copy to following for information:

1. PS to Secretary, LSG, Rajasthan Government.
2. PS to Director & Joint Secretary, LSG, Rajasthan Government.
3. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board.
4. PA to Chief Engineer, DLB.
5. Guard File.

22/06

(Bhupendra Mathur)
Chief Engineer

G:\DLB\Letters\English Letter 2020 ...

Compliance Report of NGT Case OA no. 1020/2019

Compliance report of the point related to local Self Government Department as per the NGT order dated 17.03.2020 in OA no. 1020/2019 is as follows:-

Point related to LSG in NGT Order dated 17.03.2020	**Compliance**
Sewage is also being discharged into the water bodies by the Local Bodies. This being a criminal offence has to be stopped forthwith and emergent measures be taken to prevent any discharge of sewage into the water body.	• Sambhar Lake is situated outside the municipal limit of Sāmbhar lake municipality. • Sambhar lake Municipality has already been declared ODF (Open Defecation Free) under Swachh Bharat Mission (urban). All household & Community /Public Toilets (CT/PT) in Sambhar Lake has connected with twin pits and septic tanks; For treatment of feacal sludge of twin pit/septic tank of all toilets, a Common FSTP (20 KLD capacity) for Sāmbhar lake and Phulera Municipality has been built in Phulera (Details are attached in annexure-1). FSTP is under trial run and to be handed over by RUIDP to ULB. Faecal Sludge from pits & Septic tanks is being collected by sewer suction machine and disposed at FSTP for the treatment. Therefore, after running of FSTP Sewage water is not being discharged in Sāmbhar Lake from Municipal area (likely date of running of FSTP within one month).

Therefore, Compliance Submitted as above.

Compliance Report of NGT Case OA no. 1020/2019

Compliance report of the point related to local Self Government Department as per the NGT order dated 17.03.2020 in OA no. 1020/2019 is as follows:-

Point related to LSG in NGT Order dated 17.03.2020	**Compliance**
Sewage is also being discharged into the water bodies by the Local Bodies. This being a criminal offence has to be stopped forthwith and emergent measures be taken to prevent any discharge of sewage into the water body.	• Sambhar Lake is situated outside the municipal limit of Sāmbhar lake municipality. • Sambhar lake Municipality has already been declared ODF (Open Defecation Free) under Swachh Bharat Mission (urban). All household & Community /Public Toilets (CT/PT) in Sambhar Lake has connected with twin pits and septic tanks; For treatment of feacal sludge of twin pit/septic tank of all toilets, a Common FSTP (20 KLD capacity) for Sāmbhar lake and Phulera Municipality has been built in Phulera (Details are attached in annexure-1). FSTP is under trial run and to be handed over by RUIDP to ULB. Faecal Sludge from pits & Septic tanks is being collected by sewer suction machine and disposed at FSTP for the treatment. Therefore, after running of FSTP Sewage water is not being discharged in Sāmbhar Lake from Municipal area (likely date of running of FSTP within one month).

Therefore, Compliance Submitted as above.